कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।

पत्रांकः 1493 / आ०लि० / 2022-23

दिनांकः ०६ क्सिम्बर, 2023

प्रबन्धक, एस0जी0 तेग बहादुर प्लेटनियम स्कूल, बडापुरा, विकास खण्ड अमरिया, जनपद—पीलीभीत।

कृपया अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 13—12—2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा एस0जी0 तेग बहादुर प्लेटनियम स्कूल, बडापुरा जनपद पीलीभीत का एनबीसी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

आपके उक्त सन्दर्भित प्रार्थना पत्र के कम में अधिशासी अभियन्ता, शारदा सागर खण्ड, पीलीभीत से निरीक्षण कराकर एनबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। अतः उनके द्वारा प्रदत्त नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 का प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)

मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।

पृष्ठांकनसंख्याः

/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत को सूचनार्थ ह

प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी पीलीभीत के पत्र सं0—1424/आ०लि०/2022—23/दिनांक—14.12.2022 के द्वारा प्रबन्धक, एस०जी० तेग बहादुर प्लेटनियम स्कूल बढापुरा विकास खण्ड अमरिया पीलीभीत ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक—13.12.2022 द्वारा मान्यता हेतु एन०बी०सी० प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि विद्यालय का निर्माण Structure Design /Execution of work per Structure Safety requirement Planning Drawing Er. Deepak kumar Shukla Add-201, Khakra Pilibhit द्वारा उनकी देख—रेख में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया—2005 के अनुरूप किया गया है। जिसके प्रमाण संदर्भित पत्र के साथ संकलित है।

अतः विद्यालय भवन निर्माण एवं स्ट्रक्चर की पूर्ण जिम्मेदारी उपरोक्त प्रमाण—पत्र देने वाले व्यक्ति एवं विद्यालय प्रबन्धक की होगी। किसी भी भवन की आयु उसके रखरखाब एवं अनुरक्षण पर निर्भर करती है। अतः विद्यालय प्रबन्धक को उपरोक्त भवन का अनुरक्षण मानकों के अनुरूप करना होगा। विद्यालय के निरीक्षण किया गया कक्षा 06 से 10 तक विद्यालय भवन स्ट्रक्चर रूप से बना हुआ है, कमरे हवादार एवं रोशनीयुक्त है कमरे व सीढ़िया एन0बी0सी0 मानक के अनुरूप बने हुये है। यदि भविष्य में विद्यालय द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो यह प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

अतः उपरोक्त विद्यालय को नेशनल बिल्डिंग कोड—2005 के अन्तर्गत निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र की अनुमति प्रदान की जाती है।

सहायक अभियन्ता—चतुर्थ शारदा सागर खण्ड, पीलीभीत

Office of the Chief Development Officer, Pilibhit

Letter number- 1493/ A LI/2022-23

Manager,

S. G. TEG BAHADUR PLETINUM SCHOOL,

BARAPURA BLOCK AMARIA

DISTT. PILIBHIT

Please refer to your application dated 13-12-2022 sent to the undersigned by which it has been requested to provide NBC certificate of SG Teg Bahadur Platinum School, Badapura district Pilibhit.

In response to your above referred application, NBC certificate was obtained after inspection from Executive Engineer, Sharda Saag, Pilibhit. Therefore, the certificate of National Code of India 2005 given by him is being attached and sent to you in original. Therefore, the certificate of National Code of India 2005 provided by him is being sent by attaching it in original.

PRINCIPAL S.G. Teg Baradur Platinum School Barapura (Pilibhit)

CERTIFICATE

it is certified that By letter number 1424/ A LI/2022-23 / dated 14-12-2022 from the Office of the Chief Development Officer, Pilibhit, Manager Teg Bahadur Platinum School, Barapura Development Block, Amaria, Pilibhit, through his application dated 13-12-2022 for recognition by NBC. It is to inform that the construction of the school has been done by Structure design / Execution of work per structure safety requirement planning Drawing Er Deepak kumar Shulka Add-201 khakra Pilibhit under his supervision as per the National Building Code of India-2005. Whose proof is compiled with the referenced letter?

Therefore, the full responsibility of school building construction and structure will be of the person giving the above certificate and the school manager. The life of any building depends on its maintenance and upkeep. Therefore, the school manager will have to maintain the above building according to the standards. The school was inspected from class 06 to 10. The school building is structurally built, the rooms are well ventilated and lighted, the rooms and stairs are built according to the NBC standard. If any kind of change is made in the map presented by the school in future, then this certificate will automatically be considered cancelled.

Therefore, the above mentioned school is given the permission of NOC for three years from the date of issue under the National Building Code 2005.

PRINCIPAL S.G. Teg Baradur Platinum School Barapura (Pilibhit)